UPKN010107982025

न्यायालय विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट/अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–04, कानपुर नगर।

उपस्थितः–देवकान्त शुक्ला, एच.जे.एस. (यू.पी.6189)

विशेष सत्र परीक्षण संख्या–1502/2025

उत्तर प्रदेश राज्य–––––––––––––––––––––––––––––––– अभियोगी

बनाम

शानू उर्फ शाहनवाज हुसैन पुत्र मौ० अफाक हुसैन,

निवासी– मकान नम्बर 88/200, चमनगंज, साफियाबाद मस्जिद के पास, चमनगंज, कानपुर नगर

मु०अ०सं०–1127/2022
धारा– 135 विद्युत अधिनियम
थाना– एण्टी पॉवर थेफ्ट, कानपुर नगर।

दिनांकः–04.06.2026

1. वर्तमान विशेष सत्र परीक्षण वाद में थाना एण्टी पॉवर थेफ्ट, कानपुर नगर की पुलिस द्वारा अभियुक्त शानू उर्फ शाहनवाज हुसैन के विरूद्ध मु०अ०सं० 1127/2022, अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 28.06.2022, समय 06.10 बजे, स्थान 88/200, चमनगंज, साफियाबाद मस्जिद के पास, चमनगंज, कानपुर नगर, अन्तर्गत थाना क्षेत्र एण्टी पॉवर थेफ्ट, जनपद कानपुर नगर में वादी के नेतृत्व में विद्युत विभाग की चेकिंग टीम द्वारा कटिया चेकिंग अभियान के दौरान आपको स्वीकृत संयोजन के लगे मीटर के अलावा केस्को की नजदीकी अन्डर ग्राउण्ड एल.टी. सी पैनल से एक दो कोर काली कटिया केबिल अतिरिक्त जोड़कर अवैध रूप से विद्युत का उपभोग चोरी से करते पाया गया।

3. मौके पर चेकिंग रिपोर्ट तैयार कर चेकिंग रिपोर्ट व तहरीर संबंधित थाने पर दाखिल करके वादी श्री सुनील कुमार प्रभारी उपनिरीक्षक प्रवर्तनदल केसा प्रथम, कानपुर नगर द्वारा अभियोग पंजीकृत कराया गया। तहरीर के आधार पर थाना हाजा पर मु०अ०सं० 1127/2022, अंतर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम, थाना एण्टी पॉवर थेफ्ट, कानपुर नगर पंजीकृत हुआ, जिसका इन्द्राज सामान्य दैनन्दिनी में हुआ। विवेचना प्रारम्भ हुयी। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा घटनास्थल का नक्शा–नजरी तैयार किया गया। साक्षीगण के बयान अंकित किये गये। समस्त संकलित साक्ष्य के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 135 विद्युत अधिनियम का अपराध बनता पाते हुए आरोप–पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया, जिंस पर न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया गया।

4. न्यायालय द्वारा आज दिनांक 04.06.2026 को लंच पूर्व अभियुक्त के विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत आरोप बनाया गया, जिससे अभियुक्त ने इंकार किया तथा विचारण किये जाने की याचना की।

5. अभियुक्त द्वारा अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों से इंकार करने पर अभियोजन पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया।

6. साक्ष्य के स्तर पर अभियुक्त शानू उर्फ शाहनवाज हुसैन द्वारा धारा 152(2) विद्युत अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे के निस्तारण हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया।

7. पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता, बिलिंग–द्वितीय केस्को 96/10 बिजलीघर परेड, कानपुर नगर द्वारा निर्गत पत्रांक संख्या 3373 दिनांकित 29.01.2026 उपलब्ध है, जिसमें प्रस्तुत अभियोग में आवेदक/अभियुक्त शानू उर्फ शाहनवाज हुसैन द्वारा शमन शुल्क 8,000/–रू० (आठ हजार रूपये) एवं राजस्व निर्धारण शुल्क 48,919/–रू० (अड़तालीस हजार नौ सौ उन्नीस रूपये) का सम्पूर्ण भुगतान किए जाने का उल्लेख है, जिसे संबंधित अधिशासी अभियंता द्वारा सत्यापित किया गया है। विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता द्वारा विभाग से जारी प्रमाण पत्र पर कोई आपत्ति नहीं की गयी है।

8. धारा 152(3) विद्युत अधिनियम के अंतर्गत यदि अपराध का प्रशमन करने के लिए समुचित सरकार या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा धनराशि का ग्रहण किया गया है तो ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त को धारा 300 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अर्थान्तर्गत दोषमुक्त समझा जाएगा।

9. प्रकरण के समस्त तथ्य, परिस्थितियों एवं विधि को देखते हुए आवेदक/अभियुक्त शानू उर्फ शाहनवाज हुसैन द्वारा शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण शुल्क अदा किये जाने पर अभियुक्त धारा 152(3) विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त शानू उर्फ शाहनवाज हुसैन को धारा 152(3) विद्युत अधिनियम का लाभ देते हुए उसके विरूद्ध धारा 135 विद्युत अधिनियम के वाद की कार्यवाही शमन शुल्क एवं राजस्व निर्धारण शुल्क का भुगतान किये जाने के कारण समाप्त की जाती है तथा अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त का व्यक्तिगत बंधपत्र निरस्त किया जाता है तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

आदेश की एक प्रति विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता को प्रदत्त की जाए।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(देवकान्त शुक्ला)
दिनांकः–04.06.2026
विशेष न्यायाधीश ई.सी. एक्ट/
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष संख्या 04, कानपुर नगर।
(J.O. Code–UP6189)

Digitally signed by DEV KANT SHUKLA
Date: 2026.06.04 12:01:28 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court